न्यायालयः— मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

कमांक..89/24

रतलाम, दिनांक 09.11.2024

रिमांड ड्यूटी आदेश

इस आदेश द्वारा **03 नवम्बर–2024** के पश्चात के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगे।

रतलामः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियॉं
1	श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	17
2	सुश्री सपना कनौडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	16
3	श्रीमती मुग्धा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	24
4	सुश्री आकांक्षा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	15
5	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	10

जावराः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियॉं
1	श्री एन.एस. ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	24
2	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	10, 15
3	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	16, 17

सैलानाः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियॉं
1	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	15, 16, 17, 24
2	श्री एकाग्र चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	10

आलोटः—

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियॉं
1	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	15, 24
2	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	10
3	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	16, 17

किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जावे:—

1— उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणवश माह नवम्बर में कोई अवकाश घोषित होता है तो जिला न्यायालय, रतलाम में श्री अतुल श्रीवास्तव व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील जावरा में श्री दीपक कनेरिया व इनकी अनुपस्थिति में श्री अंकित भुजंग आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट में श्री गवेन्द्र सिसोदिया व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री मधुबाला सोलंकी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में श्री एकाग्र चतुर्वेदी व इनकी अनुपस्थिति में श्री अभिषेक सोनी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें।

2— रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित की जायेगी।

3— किशोर/बाल अपचारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के द्वारा प्रदान दिया जावेगा।

4— रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने—अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेगें।

5— यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहें तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत और लिखित सहमति प्राप्त कर संपादित करेंगे।** ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनॉक को न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगें, ऐसे समायोजन अनुसार अवकाश के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेगें।

6— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कंडिका क्र. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/क्वारेंटाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित की जाती है, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना दिये जाने पर रिमांड ड्यूटी करने हेतु अनुपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम